न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 7/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रिंयाबडी		मोहननाथ चेला किशननाथ जाति नाथ निवासी थांवला तहसील–रिंयाबडी।

उपस्थिति–

1– श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री श्याम कुमार व्यास अधिबक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 14-02-2018

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार रिंयाबडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है कि मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 659, 662, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2202/1, 2202/2, 2202/4, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 675, 650, 661, 660, 678 कुल खसरा–67 कुल रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा भूमि "श्री मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में खुदकाश्त की भूमि दर्ज रही थी। उसके बाद मूर्ति मंदिर महादेवजी की भूमि में निम्न प्रकार परिवर्तन राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज हुए है:–

1(1)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2016 से 2019 के खाता सं. 59 के खसरा नं. 658, 659, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/2, 2202/1, 2202/2, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2 कुल खसरा 57 कुल रकबा 373 बीघा 1 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मंदिर महादेवजी मजकुर दर्ज है।

1(2)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2020 से 2023 के खाता सं. 218 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2203/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा किता–41 कुल रकबा 554 बीघा 1 बिस्वा की

अपर कलक्टर, नागौर

खातेदारी पीरनाथ चेला नवाबनाथ कौम नाथ निवासी थांवला के नाम दर्ज है तथा ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2022 से 2025 के खाता सं. 218 के रकबा 554 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी पीरनाथ चेला नवानाथ कौम जोगी साकिन देह के नाम दर्ज है। पीरनाथ के स्थान पर उक्त भूमि हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम नाथ सा. देह थांवला के नाम स्वीकृत हुई। जरिये नामान्तरकरण सं. 464 के द्वारा पीरनाथ चेला नवाबनाथ के स्थान पर हरिनाथ चेला नवाबनाथ कौम नाथ निवासी थांवला के नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज हुई।

1(3)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2026 से 2029 के खाता सं. 489 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा 46 रकबा 539 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम–नाथ सा.देह के नाम दर्ज है।

1(4)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2030 से 2033 के खाता सं. 591 खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 2201/1 कुल खसरा किता–30 कुल रकबा 238 बीघा 11 बिस्वा की भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 05 में हीरनाथ चेला प्रयागनाथ कौम–नाथ सा.देह दर्ज है।

1(5)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2034 से 2037 के खाता सं. 591 खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 2201/1 कुल खसरा किता–30 कुल रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा की भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 05 में हीरनाथ चेला प्रयागनाथ कौम–नाथ सा.देह दर्ज है तथा ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2037 से 2040 के खाता सं. 691 रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा की भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 04 में हीरनाथ चेला प्रयागनाथ कौम–नाथ सा.देह दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण सं. 1321 दिनांक 29.01.85 के द्वारा में हरिनाथ फौत उनके स्थान पर किशननाथ चेला हरिनाथ के नाम जमाबंदी के कॉलम सं. 11 से 17 में दर्ज है।

1(6)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2042 से 2045 के खाता सं. 56, संवत 2046 से 2049 खाता सं. 59, संवत 2050 से 2053 खाता सं. 65 व संवत 2054 से 2057 खाता सं. 65 खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 1789/1, 1801/1, 2201/1 कुल खसरा किता–32 कुल रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा की भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 04 में किशननाथ चेला हरीनाथ कौम–नाथ सा.देह दर्ज है।

अपर कलक्टर, नागौर

1(7)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2058 से 2061 के खाता सं. 89 खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 1789/1, 1801/1, 2201/1 कुल खसरा किता–32 कुल रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा की भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 04 में हीरनाथ चेला प्रयागनाथ कौम–नाथ सा.देह दर्ज है। इस चौसाले में भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन नही हुआ। जरिये नामान्तरकरण सं. 3312 दिनांक 05.11.11 के द्वारा किशननाथ चेला हरिनाथ के फौत होने पर उक्त भूमि मोहननाथ चेला किशननाथ कौम नाथ सा.देह के नाम स्वीकृत हुई।

2उपरोक्त राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन से मूर्ति मंदिर महादेवजी थांवला की भूमि वर्तमान में रेफरेन्स प्रकरण में दर्ज गैरसायल पक्षकारों के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जबकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिंग होने से उसकी भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण नहीं हो सकता है तथा जो भी ऊपर दर्शाया गया राजस्व रेकर्ड परिवर्तन हुआ है। वह मूर्ति मंदिर महादेव के अधिकारों के विरूद्व शून्य एवं प्रभावहीन है एवं आरंभ से शून्य है। इसलिये उपरोक्त जमाबंदियों के अन्तरणों को प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

3मंदिर मूर्ति की जमीन का बेचान हस्तान्तरण भी आरंभ से AB Inition Voide है, जिसे तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः उपरोक्त हस्तान्तरण अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

4मंदिर मूर्ति की जमीन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त की जावे।

5माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णयों, देवस्थान विभाग एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है तो वह प्रभाव शून्य है। अतः उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति महादेव के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जावे।

उपरोक्त भूमि के उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में मंदिर की भूमि का राजस्व रिकार्ड में हुए गलत परिवर्तन का अवैध करार दिलाया जाकर निरस्त करवाया जाकर ग्राम थांवला के खाता सं. 89 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 1789/1, 1801/1, 2201/1 रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा किशननाथ चेला हरीनाथ कौम नाथ सा.देह के नाम दर्ज है। म्यूटेशन सं. 3312 दिनांक 05.11.11 के द्वारा किशननाथ चेला हरीनाथ के फौत होने पर उक्त भूमि मोहननाथ चेला किशननाथ के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि पुनः मूर्ति महादेव थांवला के नाम दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी

अपर कलक्टर, नागौर

तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला की संवत 2012 से 2023, 2026 से 2029, 2034 से 2037, 2050 से 2057 तक की फोटोप्रति, जमाबंदी (खतौनी) ग्राम थांवला संवत 2058 से 2061 तक की तथा ग्राम थांवला के नामान्तरकरण सं. 646, 736, 747, 1822, 2299 व 3995 की फोटोप्रति पेश की गई है।

(3) राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि मौजा थांवला की उक्त भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जो संवत 2019 तक मंदिर महादेव जी की खातेदारी में रही है। संवत 2020 से 2023 की जमाबंदी में पीरनाथ चेला नवाबनाथ का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है तथा पीरनाथ के पश्चात नामान्तरकरण सं. 464 से हरीनाथ नामान्तरकरण 1321 से किशननाथ तथा नामान्तरकरण सं. 3312 से मोहननाथ के नाम फोतेदगी होने पर खातेदारी अंकन होता रहा है। वर्तमान में अप्रार्थी मोहननाथ के नाम दर्ज है, जो जमाबंदी 2058 से 2061 से सुस्पष्ट है। मूर्ति महादेवजी शाश्वत अव्यस्क है, जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को प्रदान नहीं किये जा सकते। अप्रार्थी का जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 तक दिये गये खातेदारी अधिकार कानूनन अवैध है तथा मंदिरों के जायज अधिकार पर बेअसर है। ऐसी भूमि पुनः उसी रुप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावें।

(4) वकील अप्रार्थी ने राजकीय अधिवक्ता की बहस का जवाब पेश करते हुए बताया कि यह प्रकरण कुल 67 खसरा जिसके रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह थांवला बाबत पेश किया गया है, जिसमें उतरदाता के विरूद्व खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 1789/1, 1801/1, 2201/1 रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा किशननाथ चेला हरीनाथ कौम नाथ सा.देह के नाम दर्ज है। यह भूमि शुरू से ही मंदिर की रही है। जिसे मंदिर के नाम में किये जाने में अप्रार्थी को कोई आपति भी नही है।

(5)पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला संवत् 2012 से 2015 के अनुसार रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह थांवला के नाम दर्ज रही है तथा जमाबंदी संवत 2016 से 2019 के अनुसार मंदिर महादेवजी मजकुर खातेदारी दर्ज है। तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2020 से 2023 में पीरनाथ चेला नवाबनाथ व जमाबंदी संवत 2022 से 25 में पीरनाथ के स्थान पर हरीनाथ चेला प्रयागनाथ तथा नामान्तरकरण सं. 1321 दिनांक 29.1.85 के हरीनाथ फोत होने पर उसके स्थान पर किशननाथ चेला हरीनाथ व नामान्तरकरण सं. 3312 दिनांक 5.11.11 के किशननाथ फोत होने पर उक्त भूमि अप्रार्थी मोहननाथ के नाम खातेदारी दर्ज होना रेकर्ड से साबित है।

अपर कलक्टर, नागौर

जब कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नही किये जा सकते है। इस प्रकार अप्रार्थी को तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार नहीं होने से ग्राम थांवला का ना.क. सं. 464, 1321 व 3312 खारिज किया जाकर भूमि पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज की जानी चाहिये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 1789/1, 1801/1, 2201/1 रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जो वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। मंदिर मूर्ति की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

(6)उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 1789/1, 1801/1, 2201/1 रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा भूमि के संबंध में अप्रार्थी के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत 2016–19 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1786, 1806, 1811, 1812, 2197, 2197/1, 2202, 2203, 1789/1, 1801/1, 2201/1 रकबा 223 बीघा 3 बिस्वा भूमि पूर्ववत श्री मंदिर महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु माननीय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(7)आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर